उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-87/नौ-5-2017-352सा/16
लखनऊ :: दिनांक 17 जनवरी, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08 अप्रैल, 2016 द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल, 2016 का प्राख्यापन किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के नियम-23 में **राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय** (SLAB-State Level Advisory Body) के गठन का प्रावधान है। अतः सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 के नियम-23 की उक्त व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश की प्रास्थिति के अनुसार प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में एतद्द्वारा निम्नानुसार एक **राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय** (SLAB-State Level Advisory Body) का गठन किया जाता है-

1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन से संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के एक प्रतिनिधि।	पदेन सदस्य
3	राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन से एक प्रतिनिधि।	पदेन सदस्य
4	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
5	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
6	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
7	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
8	उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
9	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के एक प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
10	मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	प्रदेश के नागर निकायों के चक्रानुक्रम में नामित 03 प्रतिनिधि	सदस्य
12	जनगणना नगरों/शहरी समुदायों के 02 प्रतिनिधि	सदस्य
13	अपशिष्ट चुनने वालों/अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता या ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए काम करने वाले विख्यात गैर सरकारी संगठन या सिविल सोसायटी के एक प्रतिनिधि	सदस्य
14	राज्य या केन्द्रीय स्तर पर उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय के एक प्रतिनिधि	सदस्य
15	अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग के एक प्रतिनिधि	सदस्य
16	02 विषय विशेषज्ञ	सदस्य
17	प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
18	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
19	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
20	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	सदस्य
21	निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
22	निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य सचिव

(1) राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विषयों, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध सम्बन्धी राज्य की नीति तथा कार्य नीति की समीक्षा करेगी।

(2) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के नियमों के त्वरित और समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बैठक करेगी।

(3) राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की समीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सदस्य सचिव द्वारा अग्रेषित की जायेगी।

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव।

संख्या-87(1)/नौ-5-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/शहरी विकास मंत्रालय/ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
2- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
3- निदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
4- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण/पंचायती राज/राजस्व/आवास एवं शहरी नियोजन/कृषि/श्रम/नगर विकास/वित्त/नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, नगर निकाय, उ.प्र., लखनऊ
9- मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
10- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
12- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
15- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
16- निदेशक, सी. एण्ड डी.एस. उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
17- निकाय के नामित समस्त सदस्य।
18- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
17/01/2017
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।